भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 111

उत्तर देने की तारीख : 01.12.2025

एमएसएमई क्षेत्र में भुगतान में देरी और प्रौद्योगिकी अपनाने की धीमी गति

111. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्त तक पहुंच में कठिनाई, भुगतान में निरंतर देरी और तेजी से प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया है;

(ख) एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को मजबूत करने, समय पर भुगतान लागू करने तथा डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन को समर्थन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालना का बोझ कम करने और व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्त तक बेहतर पहुंच, समय पर भुगतान और तेजी से प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें और उपाय किए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के अंतर्गत, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि निवेश की गई, जिससे कम ऋण लागत पर 2.00 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, सीजीएस के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए एमएसई के लिए ऋण की गारंटी सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 10 करोड़ रुपए (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी) कर दी गई है, जिसमें 90 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज शामिल है।

ii. प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए क्रमशः 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

iii. पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। इस योजना में अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है।

iv. एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए डालने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है। इस कोष के तहत भारत सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

v. देशभर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए समय पर भुगतान निपटान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 30.10.2017 को एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसई को बकाया राशि की निगरानी हेतु समाधान पोर्टल की शुरुआत की। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 161 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदें (एमएसईएफसी) स्थापित की जा चुकी हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान मामलों का संपूर्ण डिजिटल समाधान प्रदान करने हेतु दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल की शुरुआत की है।

vi. आरबीआई ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेडस) की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों का वित्तपोषण इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई वित्तपोषकों के माध्यम से सुगम हो सके। वर्तमान में 5 संस्थाएं ट्रेडस का संचालन कर रही हैं। दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना के माध्यम से, कॉर्पोरेट्स और सीपीएससी के लिए ट्रेडस में शामिल होने संबंधी मौद्रिक सीमा को घटाकर 250 करोड़ रुपए के कारोबार तक कर दिया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है, जिनमें अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सामान्य सुविधा केंद्र), टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हरित निवेश एवं परिवर्तन हेतु वित्तपोषण (गिफ्ट) योजना और एमएसएमई चैम्पियंस योजना शामिल हैं।

(ग) और (घ): सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं –

(i) एमएसएमई के लिए पंजीकरण में आसानी हेतु दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया था। उद्यम पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और स्व-घोषणा पर आधारित है। मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया। इससे पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का लाभ उठाने में मदद मिली है।

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 11.08.2021 के का.आ. 3237 (अ) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के संबंध में व्यवसाय के साथ-साथ नागरिकों पर अनुपालन भार को कम कर दिया है, जैसाकि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा पहचाना गया है।

(iii) डीपीआईआईटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली विकसित की गई है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा मंजूरी/विनियामक प्रणालियों को एकीकृत करती है।

*****